न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : : : संजय कुमार मीना (RJS)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या –486/2025, जमानत आवेदन संख्या –157/2025)
(सी.आई.एस. नं. –156/2026)

1. दिलखुश मीना पुत्र श्री गोपाल लाल मीणा, निवासी– ग्राम चतरपुरा, तहसील–बस्सी, जिला– जयपुर(राजस्थान)।

अभियुक्त/प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य

अभियोजन

(जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस
अपराध अन्तर्गत धारा 126(2), 74, 78 बीएनएस, पुलिस थाना बस्सी, जयपुर पूर्व)

उपस्थिति : 1. विद्वान अधिवक्ता श्री नरपत सिंह, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य सरकार की ओर से।

–: आदेश :– दिनांक : 03.07.2026

1. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना पत्र धारा 482 बी.एन.एस.एस के तहत पुलिस थाना बस्सी, जयपुर पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 486/2025 अपराध अंतर्गत धारा 126(2),74,78 बीएनएस में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलवाई जा चुकी है। अनुसंधान पत्रावली तलब की गई, प्रस्तुत हुई।

2. प्रकरण के समस्त तथ्य इस प्रकार है कि परिवादिया ममता मीना ने उपस्थित थाना बस्सी, जयपुर पूर्व होकर एक तहरीर रिपोर्ट इस आशय की पेश कि की वह और उसकी सहेली कौशल्या काशीपुरा से बस में बैठकर बस्सी बस स्टैंड पर उतर गये वहां से वह तथा कौशल्या पैदल–पैदल खटिकों का मौहल्ला होते हुए उनकी कॉलेज संस्कार कॉलेज जा रहे थे। उसी समय दिनांक 09.09.2025 को समय करीब प्रातः 9 बजे के आस पास एक कार नं. आरजे 45 सीएफ 7809 उनके पास आई तथा उनके आगे पीछे होने लगी व उसे दिलखुश मीणा ने जबरदस्ती कार में बैठाना चाहा व उसके साथ छेड़छाड़ की व उसके साथ पकड़ा पकड़ी कर गलत हरकत की तथा उसके स्तन पकड़ लिए व उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया तथा उसे ना

बैठने पर जान से मारने की धमकी दी। जब दिलखुश उनको गाड़ी में जबरदस्ती ले जाने के लिए चिल्लाया तो मौके से भाग गये पर वहां लोगों ने विडियों बना लिया व कार को जितेन्द्र मीना चला रहा था.... इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना बस्सी, जयपुर पूर्व में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थी को झूठा रंजिवंश फंसाया गया है व वास्तविक तथ्यों को तोड़ मरोड़कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गई है। प्रार्थी व परिवादिया आपस में रिश्तेदार है व परिवादिया को उसके अनैतिक कार्यों से रोक–टोक करने के लिये रोकने पर परिवादिया द्वारा रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी द्वारा परिवादीया से काई अश्लील हरकत नहीं की, बल्कि गलत कार्यों में जाने से रोकने हेतु व घर ले जाने हेतु किये गये प्रयास से क्रोधित होकर रंजिशवश झूंठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है व प्रकरण में अपने बयान बदलने का आश्वासन देकर अवैध राशि ऐंठने का दबाव बनाया जा रहा है। परिवादी ने थाना बस्सी से मिलीभगत कर प्रार्थी के उपर अनावश्यक रूप से दबाव बनाने की नियत से उक्त प्रकरण दर्ज करवाया है। प्रार्थी इज्जतदार व्यक्ति है, समाज में अच्छी पेठ है, जिसको गिरफ्तार करने से प्रार्थी के चरित्र व स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा प्रार्थी पर पूर्व में किसी प्रकार के अपराध का आरोप नहीं है। प्रार्थी जयपुर जिले का स्थाई निवासी है एवं गवाहों को डराने–धमकाने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी से कोई बरामदगी शेष नहीं है तथा प्रार्थी उक्त प्रकरण के अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करने हेतु तैयार व तत्पर है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया व जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

5. सुना गया। अनुसंधान पत्रावली एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है।

6. केस डायरी का अवलोकन करने से दर्शित होता है कि मुलजिम द्वारा पीड़िता तथा उसकी मित्र को दिनांक 09.09.2025 को जबरदस्ती कार में ले जाने का मुलजिम पर आरोप है। साथ ही यह भी आरोप है कि उसने गलत आशय से पीड़िता के शरीर को छुआ है। तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह अंकित है कि इसी प्रकरण के एक अन्य अभियुक्त जितेन्द्र मीणा को उसके परिजनों ने पुलिस से मारपीट कर छुड़वा दिया है

और दोनों ही मुलजिमान अपने निवास से फरार है। चूंकि मूलजिमान से इस प्रकरण में अनुसंधान किया जाना शेष है। ऐसी कोई परिस्थिति न्यायालय के समक्ष नहीं है जो मुलजिम को अग्रिम जमानत का हकदार बनाती हो। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थिति को देखते हुए मुलजिम को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

7. फलतः अभियुक्त दिलखुश मीना पुत्र श्री गोपाल लाल मीणा, की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश बस्सी
जयपुर महानगर प्रथम।

8. आदेश आज दिनांक 03.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश बस्सी
जयपुर महानगर प्रथम।